मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(ए–93 / रासूआ / 8–4 / सतना / 2006)

श्री नागेन्द्र तिवारी, अपीलार्थी
ग्राम तिघराकला,
तहसील मैहर,
जिला सतना

विरूद्ध

शाखा प्रबंधक, लोक सूचना अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक,
शाखा मैहर,
जिला सतना

आदेश

(दिनांक 28 जून 2006)

श्री नागेन्द्र तिवारी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। उन्होने शाखा प्रबंधक एवं लोक सूचना अधिकारी, जिला सहकारी बैंक, तह0 मैहर, जिला सतना से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिया था :–

> ''चाही गई जानकारी का विवरण– ग्राम पंचायत तिघराकला द्वारा 11 फरवरी 2005 के बाद से फरवरी 2006 तक राशि आहरण बाबत् जो प्रस्ताव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा–मैहर में जमा किये हैं या दिये है, उन प्रस्तावों / कागजातों की छाया प्रति नकल सत्यप्रति देने बाबत्।''

2. शाखा प्रबंधक ने यह जानकारी अपीलकर्ता को नही प्रदान की है। उन्होने अपीलकर्ता के आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त किया है कि खाते से सम्बन्धित जानकारी खातेदार या कोर्ट के मांगे जाने पर दी जा सकती है। खाते से सम्बन्धित जानकारी गोपनीय होती है और उक्त जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। इससे असन्तुष्ट होकर प्रथम अपील प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, जिला सतना के समक्ष प्रस्तुत की थी। अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलकर्ता की अपील इस आधार पर निरस्त की है कि खाते से सम्बन्धित जानकारी गोपनीय होती है और इसे किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना सम्भव नहीं है ।

3. इस प्रकरण में सुनवाई दिनांक 27.06.2006 को रखी गई थी और अपीलकर्ता को उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया था । सुनवाई के दिन अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए । लोक सूचना

अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया । इस प्रकरण में अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(e) के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार की जानकारी देने के लिये लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है । अपीलकर्ता ने यह कहीं नहीं दर्शाया है कि उन्होने जो जानकारी मांगी है वह किस प्रकार से विस्तृत लोकहित से सम्बन्धित है। जिसके आधार पर लोक सूचना अधिकारी जानकारी देने के लिये बाध्य हो । अतः इस अपील का कोई औचित्य नहीं है और यह निरस्त की जाती है।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
28 जून 2006